न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

ासीन अधिकारी:—सुनिता यादव(आर0ए0एस0)

ादमा संख्या:— 399/17

श्रीमति प्यारु पत्नि स्व. नाथु कुमावत नि० सुन्दरपुरा व अन्य

——प्रार्थीगण

बनाम

मांगु पिता कुलेधा कुमावत (2) रामा पिता सुखा कुमावत हीरा पिता मोहन कुमावत (4) जगदीश पिता भागीरथ कुमावत रामा s/o सेवा कुमावत (6) चुना पिता गिरधारी कुमावत नि० सुन्दरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भ0 राजस्व अधिनिय 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:—04-06-2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0भू0राज0 अधिनियम ‌ं6 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सुन्दरपुरा पटवार हल्का मुकराम तहसील जेला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 502, 503, 505, 509, 510, 511, 689/503, 503, 691/503, 693/503, 700/503, कुल किता 12 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद न्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अंपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश न कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15/12/17 को पंजीबध्द किया जाकर रण को अवलोकनार्थ से यह बात सिध्द है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की । से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में सी प्रकार की हैरा—फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी कार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर सुन्दरपुरा पटवार ह0 मुकराम तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 502, 503, 505, 509, 510, 511, 689/503, 690/503, 3, 692/503, 3, 700/503 कुल किता 12 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये ने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक गुरला को 400/—रू0(अक्षरे—चार सौ रूपये) मेश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। मेश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये ते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

लिपि:— तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर प्रमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner